बाल श्रम – एक कलंक

मंजू बाला
हरिद्वार

भारत को स्वतंत्र हुए 65 वर्ष हो चुके हैं। देश में 13वीं लोकसभा अपने कार्यकाल के अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान, जिस पर प्रत्येक भारतवासी गर्व करता है, में अनेकों संशोधन किये जा चुके हैं। भारत विकासशील देशों में सर्वोच्च स्थान रखता है तथा विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए तेजी से अग्रसर है आज भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। परंतु आजादी के 65 वर्षों के पश्चात् भी देश में कुछ सामाजिक बुराइयाँ जस की तस हैं। आज भी हमारे देश में बाल–विवाह, जात–पात, बाल–श्रम, कन्या भ्रूण हत्या जैसे किस्से सुनने को मिल जाते हैं। जो विकसित समाज के माथे पर एक अभिशाप है। बाल–श्रम देश के लिए एक ऐसा अभिशाप है जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

साहित्यकार विलियम वर्ड वर्थ के अनुसार "Child is the father of man" बच्चा इंसान का पिता है, जो संकेत करता है कि स्वस्थ राष्ट्र एवं समाज के निर्माण के लिए बच्चों की कितनी आवश्यकता है।

बच्चों के मस्तिष्क कुम्हार की मिट्टी के समान होता है। इसको सही दिशा में आकार देने की आवश्यकता है। सामान्यतया बच्चे अपने बचपन की अवस्था में अपने माता–पिता, शिक्षक, दोस्तों इत्यादि के साथ आनंद करना चाहते हैं। यह वह आयु है जब बच्चों के मस्तिष्क में घर एवं समाज की हर गतिविधि अपनी छाप छोड़ती है। बचपन की अवस्था में बच्चों का भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक विकास होता है।

हर बच्चे का यह मूल अधिकार है कि वह अपने बचपन की अवस्था का आनंद ले। परंतु दुर्भाग्य से विश्व में लगभग 250 मिलियन बच्चों को अपने बचपन की अवस्था में ही श्रम करना पड़ता है। गरीब माता–पिता अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने बच्चों को विभिन्न कार्यों/मजदूरी में लगा देते हैं। हम सड़कों पर बच्चों को समाचार–पत्र बेचते हुए अक्सर देखते हैं, हर चाय की दुकान, कैन्टीन, होटल, ढाबों में बच्चों को काम करते हुए देखना सामान्य बात है। बाल–श्रम पर बनी गुरूपद स्वामी समिति के अनुसार औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण बाल–श्रम की परिभाषा परिवर्तित हुई है। पूर्व में बच्चे कृषि एवं वृक्षारोपण कार्य करते थे परंतु औद्योगिकीरण के कारण बच्चों को बीड़ी उद्योग, पटाखे बनाने, माचिस उद्योग, पेन्सिल उद्योग, चूड़ी उद्योग इत्यादि में मजदूरी के लिए लगाया जाने लगा। इन उद्योगों में काम करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य पर हमेशा तलवार लटकी रहती है कभी–कभी तो बच्चों की जान भी चली जाती है। बीड़ी उद्योग में काम करते बच्चों को त्वचा कैंसर का रोग हो जाता है। पटाखा उद्योग में आग की घटना के कारण बच्चों की जान चली जाती है। कई उद्योगों से बच्चों के फेफड़ों में रोग हो जाता है। कारपर उद्योग में बच्चे अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। इस प्रकार यह देखा गया कि उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता है।

विकासशील देशों में बाल श्रम यद्यपि एक सामान्य समस्या रही है आई.एल.ओ. का प्रतिवेदन दर्शाता है कि सोना उद्योग में 20% श्रमिक 11 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं। एशिया के बहुत से देशों में छोटी बालिकाओं को शहरों में घरों में कार्य हेतु लगा दिया जाता है।

विश्व श्रम प्रतिवेदन के अनुसार बाल श्रम को "बलपूर्वक श्रम" की परिभाषा दी गयी है क्योंकि कोई बच्चा इस अवस्था में नहीं होता कि वह स्वंय कोई निर्णय ले सके। यद्यपि गरीबी के कारण परिवारों को अपने बच्चों को श्रम के लिए भेजना पड़ता है परंतु नियोजको को भी इससे सस्ते एवं समस्या रहित नौकर मिल जाते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए प्रभावी कानून नहीं है।

बच्चों को छोटी अवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगा देने के कारण उनकी जिज्ञासाओं की हम हत्या कर देते हैं। उनके स्कूल जाने की इच्छा का उनके माता–पिता द्वारा दमन कर दिया जाता है। बाल–श्रम समाज के चेहरे पर एक दाग है तथा मानवता के लिए एक अपराध है। बच्चों को उस आयु में काम करना पड़ता है जब उनको स्कूल जाना चाहिए। इसके लिए समाज, शिक्षक, माता–पिता, तथा राष्ट्र सभी दोषी हैं।

बाल श्रम को रोकने के लिए देश में कठोर कानून बनाने होंगे तथा उनका सख्ती से पालन करना होगा। इसे रोकने के लिए प्रत्येक माता–पिता एवं समाज को भी आगे आना पड़ेगा। सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल में भोजन, वजीफा, निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य प्रोत्साहन जैसी कई योजनाएं चलायी जा रही हैं परंतु फिर भी ग्रामीण, आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं आते इसके कारणों को समझकर उनका हल निकालना होगा। गैर–सरकारी संस्थाओं को भी अपनी भूमिका को पहचानना होगा तथा सही दिशा में काम करना होगा। अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवारों में जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। उस पर नियंत्रण करना होगा।

बच्चे देश का भविष्य हैं यदि इनको उपयुक्त शिक्षा नहीं उपलब्ध करायी गयी तथा इनके निर्माणकारी मस्तिष्क का विकास रोका गया तो इसके परिणाम बहुत विध्वंसकारी होंगे। देश में अपराध बढ़ते जाएंगे तथा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान हो जायेगा।

किसी राष्ट्र की राजभाषा वहीं भाषा हो सकती है जिसे उसके अधिकाधिक निवासी समझ सकें।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री